International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 12-13

भेद स्वरूप विमर्श

डॉ0 योगेन्द्र कुमार

असि0 प्रोफेसर, एम0ए0 (संस्कृत एवं दर्शनाशास्त्र), नेट–संस्कृत एवं दर्शनशास्त्र डी.फिल., ने.पी.जी. कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

साम दान दण्ड भेद माया उपेक्षा इन्द्रजाल शत्रुता के समान के साधन है इनसे शांति की स्थापना होती है। इनमें से भेद नीति का स्वरूप विमर्श प्रस्तुत किया जा रहा है।

मूल शब्दः भेद के भेद, क्रुद्ध वर्ग, भीतवर्ग, लुब्ध वर्ग, मानीवर्ग।

प्रस्तावना

भिन्द्धि दर्भ सपत्नान ने भिन्द्धि ने पृतनायतः।
भिन्द्धि मे सर्वान् दुर्हादो भिन्द्धि मे द्विषतो मणे।।[1]

भेद का अर्थ पर्याय व लक्षण

भिदिर विदारणे धातु से घञ् पूर्वक भेद शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है– विदारित करना, तोड़ना, अलग–अलग करना, एकता नष्ट करना, शत्रु पक्ष से अलग करके आत्मसात करना।
इसका पर्या निम्न है– उपजापो भवेत भेदः–[2] अर्थात् उपजाप और भेद पर्या हैं।
चाणक्य ने इसका लक्षण निम्नवत् किया है। शंक जननं निर्भर्त्सनं च भेदः[3] शत्रु के हृदय में शंका पैदा करना और बांट देना भेद है।

भेद के भेद

अग्निपुराण[4] में इसके तीन भेद माने गये हैं– परस्पर स्नेह तथा अनुराग को नष्ट करना, दो पक्षों में संघर्ष उत्पन्न कर देना, परस्पर में फूट डाल देना।
शत्रु राष्ट्र की एकता तोड़ने के लिए उसके राज्य के नागरिकों के पारस्परिक स्नेह एवं अनुराग को नष्ट कर देना चाहिए। स्नहे बन्धन के नष्ट होने से उनमें घृणा की भावना भर जायेगी। घृणा प्रतिक्रिया का रूप लेकर संघर्ष में बदल जायेगी और जब शत्रु अपनी आन्तरिक समस्याओं में उलझेगा तो वाह्य समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ होगा।

भेदित करने योग्य

भेदित करने योग्य निम्न हैं–
जो दुष्ट पुरुष परस्पर में क्रुद, भीत, अपमानित हैं उनमें भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। जो संहित हैं उनमें भेद का प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि संगठित लोग बिना भेदित किये इन्द्र के लिए भी अजेय हैं। शत्रु की ज्ञातियों का भेदन करना चाहिए। शत्रु पक्षीय राजनीतिज्ञों का भेदन करना चाहिए।[5]
अग्निपुराण[6] के अनुसार जिनके ऊपर मिथ्या लांछन लगाया गया हो, जिन्हें धन देने के लिए बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा से द्वेष करते हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, जो स्वाभिमनी हों, धर्म–अर्थ–काम से वंचित हों, क्रोधी हों, महत्वाकांक्षी हों, अकारण त्यक्त हों, जिनसे शत्रुता करके सान्त्वना दी गयी हो, जिनके धन एवं स्त्री छीन ली गयी हो, जो पूज्य होने पर भी अपमानित किये गये हों– ऐसे लोग भेदनीय हैं।
आचार्य चाणक्य[7] ने भेदित करने के योग्य परराष्ट्र स्थित लोगों को चार वर्गों में बांटा है– क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और मानी वर्ग।

क्रुद्ध वर्ग

जिनको धन देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो; किसी शिल्प या उपकार सम्बन्धी कार्यों को समान रूप से करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का तो सम्मान किया गया हो और दूसरे की अवमानना की गयी हो; राजा के विश्वस्त कर्मचारियों ने जिसको राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया हो; स्वयं बुलाकर जिसका तिरस्कार किया गया हो; राजाज्ञा से प्रवासित होने के कारण दुःखित, व्यय करके भी जिसका अभीष्ट कार्य पूरा न हुआ हो, जिसको अपने अधिकार तथा धर्म से रोका गया हो सम्मानित तथा अधिकारपूर्ण पद से जिसको च्युत किया गया हो; राजपुरुषों द्वारा जिसको बदनाम किया गया हो लिया गया हो, जिसको जेल में ठूँस दिया गया हो, जिसको जेल में ठूँस दिया गया हो, दूसरे के कहने से जिसको दण्ड दिया गया हो, झूठा इल्जाम लगाकर जिस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया हो; जिसका सर्वस्व अपहरण किया गया हो, अशक्त कार्यों पर नियुक्त करके जिसको पीड़ित किया गया हो और जिसके बन्धुबान्धवों को देश निकाल दिया गया हो। इस प्रकार के सभी लोग 'क्रुद्धवर्ग' कहलाते है।

भीतवर्ग

किसी लोभ के कारण हिंसा करके जो दूषित हो चुका हो, पाप कर्मों को करने में कुख्यात हो; अपने समान अपराधी को दण्डित हुआ देखकर जो घबरा गया हो; भूमि का अपहरण करने वाला; जो दण्ड के द्वारा वश में किया गया हो; सभी राजकीय विभागों पर जिसका अधिकार हो; अपनी कार्य क्षमता से जिसने प्रभूत धन इकट्ठा कर लिया हो; जो राजा के किसी वंशज हिस्सेदार के निकट कुछ कामना से रहता हो; जिससे राजा शत्रुता रखता हो या जो राजा से शत्रुता रखता हो; इस प्रकार के सभी लोग भीतवर्ग कहलाते हैं।

लुब्ध वर्ग
जिसका धन–वैभव नष्ट हो गया; जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह 'लुब्धवर्ग'' कहलाता है।

मानीवर्ग?
अपने को महान समझने वाला; आत्मश्लाघी; शत्रु के सम्मान को सहन न करने वाला; नीच लोगों द्वारा प्रशंसित, तीक्ष्ण प्रकृति; साहसी और भोग्य पदार्थों से कभी संतुष्ट न होने वाला वर्ग 'मानीवर्ग' कहलाता है।

भेदित करने की नीति
शत्रुओं के अकृत्य पक्ष को अपनी आशा दिखाकर शत्रु का भय दिखाकर भेदन करना चाहिए।[8] शत्रु सैन्य भेदन के लिए साम का प्रयोग, अत्यन्त उग्र भय का प्रदर्शन, शुत्र के प्रधान पुरुषों को दान तथा सम्मान देना चाहिए।[9] शुत्र देश के कृत्य पक्ष के पुरुषों को साम तथा दाम के द्वारा अपनी ओर करना चाहिए। अकृत्य पक्ष के पुरुषों को भेद तथा दण्ड के द्वारा अपनी ओर करते रहना चाहिए और उनके सामने शुत्र के दोषों की बराबर चर्चा करनी चाहिए।[10]

निष्कर्ष
भेद स्वरूप विमर्श का निर्गलितार्थ है कि वेद नीति शत्रुओं को कमजोर करने अत्यन्त ही उपयोगी है। संका उत्पन्न कर देना भेद है। चाणक्य ने भेदित करने योग्यों कि सूची को चार वर्गों में विभाजित किया है। क्रुद्ध, भीत, लुब्ध व मानी। अग्निपुराण में भी भेदित करने योग्यों की सूचना है। शत्रु का भेदन करके उसे कमजोर करना चाहिए। यही इस भेद नीति का निष्कर्ष है।

संदर्भ संकेत

1. अर्थवेद 19.28.5
2. हलायुध कोष 4.780
3. अर्थशास्त्र 2.26.10
4. अग्निपुराण 240.50.51
5. मत्स्यपुराण 101.1,4,12,15,16
6. अग्नि पुराण 240,55–57 / 1 / 2
7. अर्थशास्त्र 1.9.13
8. मत्स्यपुराण 101.3
9. अग्निपुराण, 240.58,59
10. अर्थशास्त्र, 01.09.13